केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

सीबीएसई/एएफ़एफ़/2020 **फरवरी 29, 2020**

परिपत्र संख्या 03/2020

सार्वजनिक सूचना

विषय: स्कूल में प्रवेश से पहले स्कूल की संबद्धता स्थिति की जांच करने के लिए माता-पिता को सचेत करना।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संरक्षण में प्रमुख राष्ट्रीय बोर्ड है। सीबीएससी का मुख्य अधिदेश बोर्ड परीक्षाओं का संचालन करना है और इस उद्देश्य के लिए, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाओं का संचालन करने के लिए सीबीएसई स्कूलों को संबद्धता प्रदान करता है। बोर्ड के संबद्धता उपविधियों में निर्धारित अनिवार्य शर्तों की पूर्ति करने पर स्कूलों को संबद्धता प्रदान की जाती है। शर्तों को पूरा न करने की स्थिति में, संबद्धता के लिए स्कूलों के आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है और बोर्ड की परीक्षाओं के लिए स्कूलों को अपने छात्रों का नामांकन करने की अनुमति नहीं होती है।

बोर्ड को यह पता चला है कि कुछ गैर-संबद्ध स्कूल जिनके आवेदन या तो प्रक्रियाधीन हैं, या बोर्ड द्वारा अस्वीकार कर दिए गए हैं, या उन्होंने संबद्धता के लिए आवेदन नहीं किया है, विभिन्न डिस्प्ले बोर्ड स्कूलों में, प्रमुख स्थानों पर और वेबसाइट पर, "सीबीएसई से संबद्ध होना है" "सीबीएसई पैटर्न", "सीबीएसई से संबद्ध होने की संभावना", सीबीएसई के तत्वावधान में चल रहे हैं" आदि जैसे संदेश प्रदर्शित करके माता-पिता को गुमराह कर रहे हैं ।

यह ध्यान दिया जाये है कि इसके संबद्ध उपविधियाँ, 2018 के खंड 14.2.2 के अनुसार, बोर्ड गैर-संबद्ध स्कूल को उम्मीदवारों को बोर्ड की परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं देता है।

इसलिए, जो माता-पिता सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में अपने वार्ड को दाखिल करना चाहते हैं, उन्हें स्कूल में अपने वार्ड को दाखिल करने से पहले स्कूल की संबद्धता की स्थिति (जिसमें बोर्ड द्वारा संबद्धता किस कक्षा तक दी गई है, शामिल है) की जांच करने का अनुरोध किया जाता है। माता-पिता सीबीएसई संबद्धता वेबसाइट www.cbseaff.nic.in देखें, जहां संबद्ध स्कूलों की क्षेत्रवार / राज्यवार सूची के लिए लिंक दिया गया है और उसी में अस्वीकृत स्कूलों की सूची भी शामिल है।

आगे स्पष्टीकरण के लिए, बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची पूर्ण पते, फोन नंबर और ईमेल आईडी के साथ सीबीएसई वेबसाइट www.cbse.nic.in पर दी गई है।

हस्ता/-

(अनुराग त्रिपाठी)

"शिक्षा केन्द्र", 2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली-110092
"SHIKSHA KENDRA" 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI-110092
Phone (off.) : 011-22509256-59, 22041807-08, Website: www.cbse.gov.in, www.cbse.nic.in

सचिव